न्याय. असि0 कलेक्टर / उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ

वाद संख्या 96 / 2015—16
धारा 80 रा0सं02006
ग्राम सदरौना
छत्रपति साहू जी महाराज बनाम उ0प्र0 सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही छत्रपति साहू जी महाराज एजूकेशनल सोसाइटी कार्यालय सूर्यनगर, राजाजीपुरम्, लखनऊ द्वारा मैनेजर अवधेश सिंह पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ की गयी । प्रार्थना पत्र में कहा गया कि ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खाता संख्या 00066 मे से गाटा सं0 756 रकबा 0.341 हे0 पर वादी का नाम संक्मणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि कृषि प्रयोजन की नहीं है। कृषि या पशुपालन मत्स्यपालन कुक्कुंटपाल बागवानी नहीं हो रही है। गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सरोजनीनगर से करायी गयी । तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या न्यायालय को प्राप्त हुई आख्या में उल्लेख किया गया है कि ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खाता संख्या 00066 मे से गाटा 756 रकबा 0.341 हे0 पर वादी छत्रपति साहू जी महाराज एजूकेशनल सोसाइटी कार्यालय सूर्यनगर, राजाजीपुरम्, लखनऊ द्वारा मैनेजर अवधेश सिंह पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद का नाम संक्मणीय भूमिधर खतौनी में अंकित है। उक्त भूमि कई वर्षो से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया । ग्राम सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की खतौनी वर्ष 1420—1425 फ0 के खाता संख्या 00066 मे से गाटा सं0 सं0 756 रकबा 0.341 हे0, पर वादी का नाम संक्मणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य न ही किया जा रहा है। भूमि का उपयोग गैर कृषिक रूप में किया जा रहा है। भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा धारा 80 रा0स0 2006 के तहत् दिनांक 07.01.2016 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसीलदार के द्वारा जांच कर आख्या प्रस्तुत की गयी, जांच आख्या दिनांक 25.01.2016 के उपरान्त प्राप्त होने के कारण वाद उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में दर्ज कर नोटिस जारी की गयी । दिनाँक 01.09.2016 चालान संख्या जी 060010धनराशि 16720 रूपये जाम किया।

अतः तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या व संलग्न अभिलेखों के आधार पर सदरौना परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ खाता संख्या 00066 की मे से गाटा सं0 756 रकबा 0.341 हे0, मालगुजारी 60 ख को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार सरोजनीनगर की जांच आख्या के आधार पर खातेदार छत्रपति साहू जी महाराज एजूकेशनल सोसाइटी कार्यालय सूर्यनगर, राजाजीपुरम्, लखनऊ द्वारा मैनेजर अवधेश सिंह पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद की खाता संख्या 00066 मे से गाटा 756 रकबा 0.341 हे0, मालगुजारी 60 ख को अकृषिक घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल भूराजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे । पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा । आदेश की प्रति अभिलेखों में अमलदरामद हेतु तहसीलदार सरोजनीनगर को भेजी जाय तथा आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक लखनऊ को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो ।

दिनांक 03/09/2016

03.09.16
(राम नारायण यादव)
असि0कलेक्टर / उपजिलाधिकारी
सरोजनीनगर लखनऊ।

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 06-3-19
प्रार्थना पत्र ... की तिथि 7-3-19
प्रतिलिपि ... की तिथि 07-3-19
प्रतिलिपि ...
शब्दों की संख्या ...

प्रमाणित प्रतिलिपि
कार्यालय जिलाधिकारी
लखनऊ

12870
12864
6379

3
1300

न्यायालय S.D.M सरोजनीनगर लखनऊ

वाद सं० 96/15-16, अन्तर्गत धारा 80 रा.सं.06
ग्राम सदरौना, प० बिजनौर तह० व जिला
लखनऊ। छत्रपति साहू जी महाराज बनाम सरकार/

नकल आदेश दिनांक 03-9-16 की छायाप्रति वाद
में संलग्न थी जो छिपी निरस्त किया जाता है